न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 97/2021 निर्णय दिनांक 24/12/2021

कन्हैया लाल पुत्र रूपाराम जाति ब्राह्मण निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

– प्रार्थी–

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1.श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी

2.पैराकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र कन्हैयालाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का एक खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 4.7500 हैक्टेयर रोही मौजा शीतलनगर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 24.07.2021 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 153 तादादी 4.7500 हैक्टेयर रोही मौजा शीतलनगर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से कानाराम पुत्र रूपाराम अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का नाम सही व वास्तविक नाम शुरू से ही कन्हैया लाल पुत्र रूपाराम रहा है वादगत खेत उक्त खसरा में प्रार्थी का नाम कन्हैया लाल की जगह कानाराम पुत्र रूपाराम दर्ज इंतकाल में प्रार्थी अंकित कर दिया है।

प्रार्थी साक्षर व कृषि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम व निवास स्थान की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र में प्रार्थी का नाम कन्हैया लाल अंकित चला आ रहा है यानि खसरा नम्बर 153 तादादी 4.7500 हैक्टेयर बारानी रोही मौजा शीतलनगर के राजस्व रिकार्ड को छोड़कर तमाम दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम कन्हैया लाल पुत्र रूपाराम निवासी कितासर बिदावतान अंकित चला आ रहा है उपरोक्त सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 4.7500 हैक्टेयर रोही मौजा शीतलनगर में कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम कन्हैया लाल पुत्र रूपाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम कानाराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम रा[illegible] दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 24.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से [illegible] कि मेरा नाम कन्हैया लाल है तो अप्रार्थी ने मेरा सही नाम करने से [illegible] विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी को सही नाम बत[illegible] अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम क[illegible] तो अप्रार्थी ने प्रार्थी [illegible] कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदे[illegible] राजस्व रिकार्ड में आ[illegible] नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत भुमि ग्राम शीतल नगर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 153 तादादी 4.7500 हैक्टेयर, बारानी रोही मौजा शीतलनगर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम कानाराम निवासी शीतल नगर अंकित हुआ है उसकी जगह कन्हैया लाल पुत्र रूपाराम जाति बाह्मण निवासी कितासर बिदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की तरफ से पैराकारराज ने जवाब पेश किया कि उक्त खसरा संख्या 153 रोही शीतलनगर मे वादी दर्ज नाम कानाराम की बजाय कन्हैयालाल करने को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है तो स्टेट को कोई आपति नही है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 153 तादादी 4.7500 हैक्टेयर रोही मौजा शीतलनगर तहसील श्रीडूंगरगढ मे प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र रूपाराम जाति ब्राह्मण नाम करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक 24/12/2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर मे से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:16:20 IST
Reason: SelfAttested